बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

आदेश

संख्या :–4/वनभूमि–15/2024......................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...........................

श्री विजय कुमार जयसवाल एवं श्री अनिल कुमार जयसवाल द्वारा मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत करणपुर उत्तर मौजा के खाता संख्या–93, 516, प्लॉट संख्या–270, 274, 275, ग्राम–करणपुर उत्तर, थाना–बोचहाँ, पोस्ट–बोचहाँ, अंचल–बोचहाँ में मुजफ्फरपुर–दरभंगा पथ के किनारे Reliance BP Mobility Ltd. का रिटेल आउलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02025 हे० वनभूमि के उपयोग की अनुमति के प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक–FP/BR/PetrolPump/414702/2023, दिनांक–21.08.2026 द्वारा सशर्त्त सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्रदान की गयी है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्रांक–FC-1338 दिनांक–22.11.2025 द्वारा स्टेज–1 में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किए जाने के उपरांत विभागीय पत्रांक–6243, दिनांक–03.12.2025 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को भेजते हुए अंतिम स्वीकृति (Stage-II) प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक–FP/BR/PetrolPump/414702/2023, दिनांक–14.09.2026 द्वारा उक्त पहुँच पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन), अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.02025 हे० वन भूमि के उपयोग करने हेतु अनुमति के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति(Stage-II) निम्नलिखित शर्त्तों के साथ प्रदान की गयी हैः–

1. General Conditions

S.No.	Conditions
1.1	"Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged"
1.2	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to State Forest Department. The Scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years
1.3	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be deposited to CAMPA account.
1.4	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required
1.5	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar
1.6	The User Agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area eing diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department.

1.7	No laour camp shall be established on the forest land
1.8	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the tabourers and the staff working at the site so as to void any damage and pressure on the nearby forest area
1.9	The forest land shall not be used for any pupose other than that specified in the proposal
1.10	The layout plan of the proposal shall not be change without the prior approval of the Central Government
1.11	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.12	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.13	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department
1.14	The State Government shall ensure the compliance of the provisions of all other Acts and rules made thereunder, including ensuring settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Forest Rights) Act, 2006
1.15	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project, Bird's nests artificially made out of eco-friendly materal shall be used in the area, including forest area and human settlement, adjoining the forest area being diverted for the project
1.16	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State
1.17	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year
1.18	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, Protection and development of forests &wildlife

2. Standard conditions

S.No.	Conditions
2.1	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slops.

3. Specific Conditions

S.No.	Conditions
3.1	The Compensatory Afforestation shall be raise over one hectare degraded forest land at the cost of the user agency. The State Government shall also raise the Penal Compensatory Afforestation at the cost of the user agency. The State shall submit the details of the identified land along with the KML file/maps and suitability certificate.
3.2	The user Agency responsible for violation shall be prosecuted under relevant local Act of the State and/or Central Act for unauthorized use of forest land without the permission of State authority.

3.3	The User Agency shall develop a green belt in all areas excluding entry and exit points. The green belt shall be developed at a distance of 1 to 1.5 meters away from the boundary wall of the premise. Shrubby or Ornamental plants shall be planted in the front area of the retail outlet. Additionally, plantation must be carried out along the boundary of the retail outlet.
3.4	The State Government will pursue disciplinary action against the officials concerned for not being able to prevent use of forest and for on-forestry purpose.

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के OA N. 5074(E) दिनांक–29.11.2023 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक–FP/BR/PetrolPump/414702/2023, दिनांक–14.09.2026 द्वारा प्रदत्त अनुमति में निहित शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य शर्तों के साथ वन भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति आदेश को समेकित रूप से स्थानीय समाचार पत्र (एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी) में अक्षरशः प्रकाशित कराना होगा।

2. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति आदेश की एक प्रति को स्थानीय निकाय के प्रधान कार्यालय पट्ट पर 30 दिनों के लिए प्रदर्शनार्थ, निकाय प्रधान को सौंपना होगा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर उक्त वर्णित 0.02025 हे० वन भूमि पर रिटेल आउटलेट खोलने के लिए पहुँच पथ के निर्माण हेतु प्रयोक्ता को अनुमति संसूचित करते हुए इसे अभिलेख में दर्ज करेंगे तथा इसका सीमांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। उनके द्वारा शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन सरकार एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपर्युक्त अंकित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में या गैर वानिकी उपयोग होने वाली वन भूमि पर इस अनुमति से निहित प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य गैर वानिकी कार्य किए जाने की स्थिति में बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को यह अधिकार होगा कि वन भूमि पर किए जाने वाले अन्य गैर वानिकी कार्य को तत्काल बंद कराते हुए तत्संगत अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई के उपरांत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की यह अनुमति रद्द करते हुए/वापस लेते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित करें।

ह०/–
(राजीव कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :4/वनभूमि–15/2024 6115 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 25/9/26

प्रतिलिपि :–सहायक वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, FC डिविजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची–834002/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना/वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अंतिम स्वीकृति पत्र के साथ सूचनार्थ, कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शनार्थ (30 दिनों तक) प्रेषित।

श्री विजय जयसवाल, मे० माँ भवानी फ्यूलस, शीतल कुंज, अनुपम कैम्पस, वार्ड संख्या–13, सिकन्दपुर, जिला–मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ तथा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्यार्थ प्रेषित।

संबंधित सहायक, गार्ड फाईल में संधारण/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, को विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

25.9.2026

(राजीव कुमार)
सरकार के उप सचिव